

मांग संख्या
मुख्य शीर्ष 2049

मद क्रमांक 1

12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा लेखाओं के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची में किये संशोधन के परिणामस्वरूप समेकित राज्य आयोजना कर्जों पर ब्याज हेतु नवीन लघु शीर्ष स्थापित किया जाना है। उक्त लघु शीर्ष को रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान के साथ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की व्यवस्था बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या ..
मुख्य शीर्ष 6003

मद क्रमांक 1-2

वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम नई दिल्ली से राज्य शासन को प्राप्त ऋण के मूलधन की किश्त एवं ब्याज के भुगतान हेतु क्रमशः रुपये 4,00,000 एवं 30,000 के व्यय की आवश्यकता है। व्यय की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100-100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1

राजभवन के उपयोग के लिये एक छोटा लोडिंग वाहन टाटा ए.सी. ई.(डीजल) क्रय किया जाना है, जिसपर रुपये 2,55,500 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,55,500 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 2

इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्रीजी के स्वेच्छानुदान मद में अतिरिक्त रुपये 7.50 करोड़ का व्यय होना संभावित है, जिसमें से रुपये 5.00 करोड़ राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति एवं अतिरिक्त व्यय सहित रुपये 7,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 3 - 10

राज्य शासन द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन होने के फलस्वरूप आयोग के संचालन हेतु रुपये 47.76 लाख का व्यय होना संभावित है। जिसमें से रुपये 20.00 लाख राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 47,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

मीसा/डी.आई.आर. में निरूद्ध रहें व्यक्तियों को दिनांक 1-4-2008 से लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि दिया जाना है, जिसपर रुपये 5.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मंथन 2007 कार्यशाला में लिये निर्णय के अनुपालन में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को पहल, नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्य मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाना है, जिसपर रुपये 10.75 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 3

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायते एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत राज्यों के सूचना आयोगों के भवन निर्माण हेतु लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाना है। 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी। भवन निर्माण पर रुपये 10.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है। राज्यांश की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

ग्राम और नगर रक्षा समितियों को बीमा का लाभ उपलब्ध कराने हेतु रुपये 6,47,97,000 का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-01-2006 के परिपालन में सिख विरोधी दंगों में हुई संपत्ति की क्षति, घायल एवं मृतकों को अनुग्रह/क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से राशि रुपये 1,37,36,800 का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 1,37,36,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 05

मुख्य शीर्ष 2056

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश की जेलों में आवश्यक सुधार कार्यों हेतु जेल सुधार योजना के अन्तर्गत रुपये 150.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1

वित्त विभाग के अन्तर्गत ऋण प्रबंधन कक्ष की स्थापना की जानी है। इसके संचालन में लगने वाले कम्प्यूटर एवं उपकरणों का क्रय संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली द्वारा किया जावेगा। इसपर रुपये 12.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2054

मद क्रमांक 2

राज्य के लेखा प्रशिक्षण शालाओं के विस्तार एवं आंतरिक लेखा अंकेक्षण कार्य के सुदृढीकरण हेतु रुपये 21.90 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 6

प्रदेश में नवीन उपकोषालय खोले जाने के लिये इस वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 21.00 लाख का व्यय होना अनुमानित है। व्यय की पूर्ति बचतों से की जायेगी। खोले जाने वाले उप कोषालयों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. कराहल, जिला श्योपुर
2. ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
3. गुन्नौर, जिला पन्ना
4. ईसागढ़, जिला अशोकनगर
5. चौरई, जिला छिंदवाड़ा
6. धुवारा, जिला छतरपुर
7. कोतमा, जिला अनूपपुर

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 8

राज्य वित्तीय प्रबंध प्रणाली (एस.एफ.एम.एस.) के अन्तर्गत वर्तमान डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर आर्किटेक्चर के स्थान पर सेन्ट्रल सर्वर आर्किटेक्चर प्रणाली की स्थापना हेतु एवं वर्तमान एप्लीकेशन साफ्टवेयर के उन्नयन हेतु रुपये 10.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9 - 18

संचालनालय बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा का उप कार्यालय भोपाल में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उप कार्यालय के पदों की व्यवस्था स्वीकृत अमले से ही की जाएगी। वित्तीय वर्ष में वेतन भत्ते, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, फर्नीचर एवं उपकरण आदि में रुपये 7.00 लाख का व्यय अनुमानित है। व्यय की पूर्ति बचतों से की जाएगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2075

मद क्रमांक 19 - 24

पेंशन लेखों के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था के लिये, पेंशनरों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें डिजिटल पहचान पत्र प्रदाय करने एवं बैंकों के साथ सूचना व इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान करने के लिये पेंशन संचालनालय में आवश्यक व्यवस्थाये किये जाने हेतु रुपये 5.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4885

मद क्रमांक 25

मध्यप्रदेश वित्त निगम को विभिन्न वर्षों में ऋण राशि रुपये 1691.13 लाख स्वीकृत किये गये थे, समय-समय पर जिसको अंशपूंजी में परिवर्तित किया गया। इस परिवर्तन की प्रविष्टि शासन के अभिलेखों में करने के लिये रुपये 1691.13 लाख की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था प्रदत्त ऋण को अंशपूंजी में परिवर्तित कर की गई है। यह एक पुस्तकीय समायोजन है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,91,13,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07
मुख्य शीर्ष 2040

मद क्रमांक 1

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सर्वाधिक राजस्व देने वाले करदाताओं को भामाशाह की पदवी से विभूषित करने के लिये पारितोषिक सम्मान मद में रुपये 1.00 करोड़ अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

लेखन सामग्री एवं फार्म मद में देयकों के भुगतान एवं अभिभाषकों की फीस के लिये रुपये 2.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08
मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1

केडस्टूल नक्शो के डिजिटाइजेशन हेतु इस वर्ष केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अन्तर्गत राशि रुपये 8,83,48,000 के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,83,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 2

सिंगरोली एवं अलीराजपुर जिले की स्थापना का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,46,30,000 की राशि का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान अनुपूरक अनुदान में किया गया है।

मद क्रमांक 3

दो संभागीय कार्यालय शहडोल एवं छिंदवाड़ा के गठन के लिये इस वर्ष रुपये 202.22 लाख का व्यय होना संभावित है। जिसकी पूर्ति विभागीय बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 4

भोपाल स्थित पुराना सचिवालय के भवन के आधुनिकीकरण एवं नवीन भवनों का निर्माण हेतु रुपये 29.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है। व्यय की व्यवस्था बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

प्रदेश में तहसीलों के अभिलेखागार के निर्माण के लिये भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना में रुपये 687.50 लाख स्वीकृत किये गये हैं। इस वर्ष उक्त योजना में राज्यांश हेतु राशि रुपये 419.00 लाख की आवश्यकता होगी। कुल व्यय रुपये 11,06,50,000 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,06,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11
मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 1

श्रम तथा रोजगार के अंतर्गत रोजगार तथा प्रशिक्षण योजना में चिकित्सा अग्रिम का मद उपलब्ध न होने से चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति करने के उद्देश्य से मद खोला जाना है। वित्तीय वर्ष में रुपये 1.80 लाख का व्यय संभावित है, जिसे स्वीकृत बजट की बचत से किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

श्रम तथा रोजगार के अन्तर्गत रोजगार कार्यालय योजना में चिकित्सा अग्रिम के अन्तर्गत रुपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 3 - 5

इण्डस्ट्रियल फेसिलिटेशन काउन्सिल का गठन योजना अन्तर्गत काउन्सिल की बैठकों के आयोजन, पत्राचार हेतु डाक व्यय, स्टेशनरी इत्यादि पर रुपये 3.00 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12

मुख्य शीर्ष 2045

मद क्रमांक 1 - 19

विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत गठित विशेष अदालतों के लिये स्वीकृत 10 विशेष न्यायिक अधिकारियों एवं 80 कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं अन्य कार्यालयीन व्यय हेतु रुपये 84,14,500 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 84,14,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 20

प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की सुनिश्चितता के लिये आवश्यक विद्युत शक्ति क्रय किये जाने हेतु रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

इस वर्ष कृषकों को सिंचाई उपकरणों हेतु विशेष सहायता टॉप अप अनुदान के लिये रुपये 6,13,25,000 की व्यय हेतु आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,13,25,000 की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

इस वर्ष गोबर गैस तथा बायो गैस संयंत्र की स्थापना हेतु रुपये 2,98,15,500 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,98,15,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत शासकीय कृषि उद्यानिकी महाविद्यालयों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में सामान्य निर्धन वर्ग के निर्धन परिवारों के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु रुपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 14
मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 1

पशुधन बीमा अन्तर्गत इस वर्ष अनुमानित 8 लाख पशुओं का बीमा होने से रुपये 77.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 77,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 5

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अन्तर्गत पशु संगणना कार्य संपादित करने हेतु रुपये 706.71 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,06,71,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

निर्धन वर्ग के लिये आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 100.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 15
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधानानुसार निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं सशक्तिकरण हेतु इस वर्ष रुपये 150.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 2

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में दुधारु पशुओं की उत्पादकता वृद्धि हेतु पुरस्कार दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु इस वर्ष रुपये 25.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 3

भारत सरकार द्वारा हाथकरघा बुनकरों के लिये संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना में वार्षिक बीमा प्रीमियम में बुनकर के अंश का 50 प्रतिशत अर्थात् रुपये 70/- राज्य शासन द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। योजना अंतर्गत बुनकर परिवार के 4 सदस्य (पति, पत्नी एवं दो बच्चों) का बीमा होना है तथा उन्हें चिकित्सा हेतु प्रतिवर्ष रु. 1500/- की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इस हेतु इस वर्ष रुपये 3.50 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति मांग संख्या 64 शीर्ष 2851 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

हाथकरघा विकास योजना अंतर्गत हाथकरघा के विकास हेतु बुनियादी प्रशिक्षण, उन्नत प्रशिक्षण, मशीनरी, उपकरण एवं अधोसंरचना कार्यशील पूँजी तथा विपणन हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु इस वर्ष रुपये 5.98 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

कुटीर उद्योग विकास योजना अंतर्गत कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु बुनियादी प्रशिक्षण, उन्नत प्रशिक्षण, मशीनरी, उपकरण एवं अधोसंरचना कार्यशील पूंजी तथा विपणन हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु इस वर्ष रुपये 48.30 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 19
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1 - 4

उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन, उप स्वास्थ्य केन्द्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन हेतु रुपये 343.18 लाख का व्यय अनुमानित है। व्यय की पूर्ति बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 5

जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में पेयजल व्यवस्था के लिये ओव्हर हेड टैंक के निर्माण हेतु रुपये 49.00 लाख का व्यय अनुमानित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

नवीन 30 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 26 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु क्रमशः रुपये 450.00 लाख तथा रुपये 250.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 700.00 लाख का व्यय अनुमानित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

(रुपये लाख में)

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्था का नाम	स्थान का नाम	जिला	संभावित लागत	संभावित व्यय
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र					
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	कोलार रोड	भोपाल	200.11	15.00
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	पहाड़ी	कटनी	200.11	15.00
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बागौद	खरगौन	200.11	15.00
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	नगरी	मंदसौर	200.11	15.00
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	खुरपा	नरसिंहपुर	183.58	15.00
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	जीरन	नीमच	200.11	15.00
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	गौहरगंज	रायसेन	200.11	15.00
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	गुह	रीवा	200.11	15.00
9.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	कुठार	सीधी	200.11	15.00
10.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बैरदह	सीधी	200.11	15.00
11.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	रामपाली	बालाघाट	149.60	15.00
12.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	म्याना	गुना	71.83	15.00
13.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	हंडिया	हरदा	189.24	15.00
14.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	पचमढी	होशंगाबाद	118.61	15.00
15.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बेटमा	इंदौर	152.87	15.00
16.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	देवेन्द्रनगर	पन्ना	172.68	15.00

17.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	खुजनेर	राजगढ़	175.45	15.00
18.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	सुठालिया	राजगढ़	121.03	15.00
19.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	त्पोंथर	रीवा	143.12	15.00
20.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	सेमरिया	रीवा	162.03	15.00
21.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	रामनगर	सतना	29.80	15.00
22.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	अमदरा	सतना	159.22	15.00
23.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	खरगापुर	टीकमगढ़	175.51	15.00
24.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	चंदिया	उमरिया	170.13	15.00
25.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	रेहटी	सीहोर	182.31	15.00
26.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	बरही	कटनी	186.84	15.00
27.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	कन्नौद	देवास	216.16	15.00
28.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	सिंगोली	नीमच	96.56	15.00
29.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	सरई	सीधी	183.64	15.00
30.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	सिराली	हरदा	182.31	5.00

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	धमोखर	उमरिया	35.00	10.00
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	नौरोजाबाद	उमरिया	65.00	10.00
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	बिजोरी	उमरिया	65.00	10.00
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	काटकूट	खरगौन	65.00	10.00
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	मारकी महु	गुना	65.00	10.00
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	फतेहगढ़	गुना	65.00	10.00
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	नोहटा	दमोह	65.00	10.00
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	रजेगांव	बालाघाट	65.00	10.00
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	ढावला महेश	मंदसौर	65.00	10.00
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	जोडोरी	रीवा	65.00	10.00
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	खोखराकला	शाजापुर	65.00	10.00
12.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	अरनियाकला	शाजापुर	65.00	10.00
13.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	मोहगांव	बालाघाट	65.00	10.00
14.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	जाम	बालाघाट	65.00	10.00
15.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	बाजना	छतरपुर	65.00	10.00
16.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	बेलखाडू	जबलपुर	65.00	10.00
17.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सिंगौद	जबलपुर	65.00	10.00
18.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	भिड़की	जबलपुर	65.00	10.00
19.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	इंदाना	जबलपुर	65.00	10.00
20.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	पडवार	जबलपुर	65.00	10.00
21.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	बोरिया	जबलपुर	65.00	10.00
22.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सोनतलाई	हरदा	65.00	10.00
23.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	छपारा	सिवनी	65.00	10.00
24.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	जरूआ	टीकमगढ़	65.00	10.00
25.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	चंदेरा	टीकमगढ़	65.00	10.00
26.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	वर्धा	विदिशा	30.00	5.00

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 20

मद क्रमांक 1

निर्देशन के अन्तर्गत इस वर्ष अनाज अग्रिम हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 21
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1

पर्यावरण संरक्षण एवं समन्वय संगठन के अन्तर्गत राज्य पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना हेतु रुपये 1.00 की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

स्वच्छ पर्यावरण प्रबंधन (सी.डी.एम.) कार्बन रेटिंग पर होने वाले व्यय हेतु रुपये 1.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23
मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1-7

जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं की नहरे तथा उससे संबंधित वृहद निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित राशि की आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था विभाग मांग संख्या 57-4700 से समतुल्य राशि समर्पित कर करेगा। योजनायें निम्नांकित हैं:-

1. बाण सागर परियोजना यूनिट-1	20.00 करोड़
2. बाण सागर परियोजना यूनिट-2	3.00 करोड़
3. बावनथड़ी परियोजना	1.00 करोड़
4. सिंध परियोजना द्वितीय चरण	15.00 करोड़
5. कनेरा (चंबल उत्संचन) परियोजना	8.00 करोड़
6. सम्राट अशोक सागर परियोजना	15.00 करोड़
7. पेंच परियोजना	10.00 करोड़

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 72,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

अपरीक्षित मद

प्रदेश में सिंचाई में वृद्धि हेतु निम्नांकित उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण कराया जाना है। जिसकी व्यवस्था विभाग द्वारा बचतों से की जावेगी।

1. ऐसाह उद्वहन सिंचाई योजना	100
-----------------------------	-----

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 9

प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हेतु निम्नांकित मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य के लिये रुपये 843,46,000 का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी। योजनायें निम्नांकित हैं:-

क्रमांक	योजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत	अनुदान की राशि
---------	--------------	------	---------------	----------------

1.	बारना परियोजना में मुख्य दायी नहर डी-4/एम-2 नहर में सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण का कार्य	रायसेन	390.00	100
2.	चंदौरा मध्यम योजना का सुधार कार्य	बैतूल	453.46	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

जल संसाधन विभाग की अपर ककेटो बांध परियोजना के वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 8.00 करोड़ की आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था विभाग मांग संख्या 57-4700 से समर्पित करके करेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4711

मद क्रमांक 11

बाढ़ नियंत्रण की निम्नांकित नवीन योजनाओं हेतु आवश्यकत राशि की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी। योजनायें निम्नांकित हैं:-

क्रमांक कार्य का नाम जिला प्रतीक प्रावधान

1.	ग्राम जेत में नर्मदा नदी पर घाट व तट प्रोटेक्शन कार्य फेस-2	सीहोर	100
2.	धपेरा (मोहगांव) बाढ़ नियंत्रण योजना	बालाघाट	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

राज्य में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर पुलों का निर्माण कराया जाना है। इन कार्यों पर वर्ष रुपये 13.00 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्रमांक	जिला	कार्य का नाम	लागत	संभावित व्यय
1.	कटनी	कटनी मैहर मार्ग के कि.मी. 368/2 में कटनी नदी पर पुल निर्माण	400.00	1.00
2.	ग्वालियर	बिलौआ धौधा मार्ग के कि.मी. 9/4 में बरीखोह नाले पर पुल निर्माण कार्य	155.00	1.00
3.	राजगढ़	खिलचीपुर धामनिया मार्ग पर गाडगंगा नदी पर पुल निर्माण	279.64	1.00
4.	राजगढ़	टिकोद निनोर मार्ग पर नेवज नदी पर पुल निर्माण	342.88	1.00
5.	शाजापुर	बैरछा मार्ग ग्राम सेतघाट खेड़ी (पश्चिम) से घाटाखरेड़ी (पूर्व) के मध्य चिलर नदी पर पुल निर्माण	480.00	1.00
6.	उज्जैन	उज्जैन जिले में बड़नगर खाचरोद मार्ग पर ग्राम भाट पटनाला के समीप बगेड़ी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण	101.00	1.00
7.	रीवा	दुबी गढ़का टिकर मार्ग के कि.मी. 3/6 में	240.00	1.00

8.	खरगौन	बिछिया नदी पर पुल निर्माण सैलानी मुलठान मार्ग के कि.मी. 7/10 में वेदा नदी पर पुल निर्माण	500.00	1.00
9.	बालाघाट	घंसा नवेगांव आगगांव मार्ग पर छोटी बाघ नदी पर पुल निर्माण	385.00	1.00
10.	नीमच	अठाना हनुमंतीया खीर मार्ग पर ग्राम हनुमंतीया के समीप हनुमंतीया नदी पर पुल निर्माण	121.00	1.00
11.	नीमच	बावल केलूखेड़ा बादमुरिया मार्ग पर ग्राम केलूखेड़ा के समीप गंभीर नदी पर जलमग्रीय सेतु का निर्माण	145.00	1.00
12.	नीमच	बम्होरी महादेव सोकड़ी जीरन मार्ग पर खाल नाले पर पुल निर्माण	113.60	1.00
13.	नीमच	चीलाखेड़ी घसुण्डी जागीर मार्ग पर सनावद के पास नाले पर पुल निर्माण	123.60	1.00

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राज्य में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य कराया जाना है। इन कार्यों पर इस वर्ष रुपये 2.00 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्रमांक	जिला	कार्य का नाम	लागत	संभावित व्यय
1.	रायसेन	भोपाल विदिशा मार्ग के कि.मी. 34/8 में स्थित सलामतपुर रेल्वे क्रॉसिंग 264ए पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	1937.83	1.00
2.	बैतूल	बैतूल शहर में गंज रेल्वे गेट के पास रेल्वे अंडर ब्रिज का निर्माण	186.24	1.00

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अपरीक्षित मद

राज्य में आवागमन की सुविधा हेतु नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत निम्नांकित स्थानों पर पुलों का निर्माण कराया जाना है। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	कार्य का नाम	जिला	लागत	संभावित व्यय
1.	गोंडी गुराड़िया चिकल्दी मार्ग पर कोलार नदी पर पुल निर्माण	सीहोर	419.57	1.00
2.	अजनेरी बैंगनिया मार्ग के मध्य सूखी नदी पर पुल निर्माण	सीहोर	344.31	1.00
3.	सिवनी छिन्दवाड़ा मार्ग में लखनवाड़ा स्थित बैनगंगा नदी पर पुल निर्माण	सिवनी	410.00	1.00
4.	रजेगांव गोंदिया राज्यमार्ग पर बाघ नदी पर पुल निर्माण	बालाघाट	952.50	1.00

5.	केवलरी-पलारी छपरा भीमगढ़	सिवनी	565.00	1.00
	मार्ग में बेनगंगा नदी पर पुल निर्माण			
6.	कल्याणपुर चन्दनखेड़ा मार्ग के	नरसिंहपुर	615.00	1.00
	बीच शंकर नदी पर पुल निर्माण			
7.	उमराव नदी पर खलेसर पुल	उमरिया	200.00	1.00
	निर्माण			

उपरोक्त कार्य अपरिक्षित मद के रूप में शामिल किये जा रहे हैं। अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 700 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

राज्य में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर मार्गों का निर्माण कराया जाना है। इन कार्यों पर इस वर्ष रुपये 39.00 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्रमांक	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	लागत	संभावित व्यय
1.	भोपाल	बैरसिया सिरोंज रोड से मेगराकलां सेमरीखुर्द डुंगरिया बेड़लाखेड़ी बरखेड़ा याकूब नरेला से सेमरी मार्ग	22.72	972.00	1.00
2.	बुरहानपुर	बुरहानपुर रेल्वे फीडर रोड मार्ग	4.00	662.24	1.00
3.	बड़वानी	तलवाड़ा डेब बिलवा डेब मार्ग	6.20	174.34	1.00
4.	जबलपुर	कंटोरा से आमा हिनाता मार्ग	9.20	282.43	1.00
5.	जबलपुर	मुनसर दिघौरा मार्ग	7.80	238.88	1.00
6.	इन्दौर	चौहानखेड़ा से खैमना मार्ग	5.40	162.28	1.00
7.	रतलाम	मधराड़ से नोगांव रेल्वे स्टेशन मार्ग	5.90	207.80	1.00
8.	इन्दौर	पिवडाय से खुडेल मार्ग	8.00	266.94	1.00
9.	इन्दौर	सिमरोल से उदयनगर मार्ग	13.30	598.31	1.00
10.	इन्दौर	पिपल्दा से तिल्लोर बुजुर्ग मार्ग	5.10	173.10	1.00
11.	इन्दौर	मालीपुर हासलपुर मार्ग	6.20	175.54	1.00
12.	इन्दौर	नांदेड काकरिया व्हाया हासलपुर मार्ग	9.40	285.22	1.00
13.	पन्ना	पहडीखेड़ा (हीरापुर) से भवानीपुर व्हाया दिया मार्ग	18.00	647.60	1.00
14.	पन्ना	अमहा बड़ीरंध से उदयपुर मार्ग	6.40	203.29	1.00
15.	पन्ना	महेवा इटावा कला बघेलाघाट मार्ग	17.95	543.79	1.00
16.	दमोह	बांसा तारखेड़ा बासनी पहुंच मार्ग	5.00	160.93	1.00
17.	दमोह	हलगज हिनोता बल्लारपुर पहुंच मार्ग	10.00	432.61	1.00
18.	दमोह	रजपुरा चौरैया शहगढ़ मार्ग	22.00	669.07	1.00
19.	दमोह	बिन्ती मडियादो मार्ग से हिनमतपटी काईखेड़ा मार्ग	10.80	454.89	1.00
20.	दमोह	सहजपुर इमलीडोर मार्ग	8.00	208.90	1.00
21.	दमोह	अजीतपुर खमरिया पहुंच मार्ग	5.00	123.28	1.00
22.	दमोह	बकायन पिपरौधी सकतपुर रियाना बम्होरी खडेरी मार्ग	15.20	487.96	1.00
23.	दमोह	हटा घूराघाट पांडाझिए मार्ग	4.00	148.21	1.00
24.	दमोह	रूसल्ली सोजना शिकरपुरा मार्ग	9.00	305.99	1.00
25.	दमोह	तलगांव हरदुआनी मझगुंवा हमान हिम्मतपट्टी मार्ग	6.00	228.50	1.00
26.	दमोह	बालाकोट चिरई मकना पहुंच मार्ग	13.80	426.34	1.00
27.	अशोकनगर	देहरदा राजघाट मार्ग से भुरी चन्देरी मार्ग	13.22	419.48	1.00

28.	अशोकनगर अशोकनगर ईसागढ़ मार्ग से नईसराय मार्ग	25.10	749.57	1.00
29.	अशोकनगर अशोकनगर विदिशा (भादोन) मार्ग से छिपोन मार्ग	26.70	818.17	1.00
30.	अशोकनगर अमरोद से पिपरई मार्ग	8.90	265.94	1.00
31.	अशोकनगर कचनार से राजपुर व्हाया करैया बुद्धू मार्ग	5.60	178.43	1.00
32.	अशोकनगर खजुरिया महु आलमपुर से सेमरा डोंगरा मार्ग	9.12	345.63	1.00
33.	इंदौर आगरा नेवरी जंक्शन से पिपलौदा, जलोदिया पंथ खड़ी, चांदेर मार्ग	11.60	362.60	1.00
34.	इंदौर सेमदा रेनवास अरोद कोट पेगलपुर से देपालपुर	10.87	367.03	1.00
35.	इंदौर गंगाजलखेड़ी चिमनखेड़ी बनेड़िया मार्ग	7.70	250.01	1.00
36.	इंदौर अत्याना कुनगारा, जलोदियापार, लिंगबोदापार सेमदा मार्ग	10.35	226.81	1.00
37.	इंदौर गौरहा खड़रा मार्ग का उन्नयन	5.50	164.70	1.00
38.	इंदौर मोहला हरदुआ मार्ग	5.80	134.16	1.00
39.	इंदौर लक्ष्मीबाई नगर छोटा बांगड़दा बुनिया लिंगबोदागारी सोनगीर मार्ग कैसूर मार्ग	19.35	679.91	1.00

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3900 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

अपरीक्षित मद

राज्य में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर मार्गों का निर्माण कराया जाना है। कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	कार्य का नाम	जिला	लंबाई	लागत	संभावित व्यय
1.	पडरिया जाट पहुंच मार्ग,	भोपाल	3.22	121.00	1.00
2.	कोलार रोड़ कि.मी. 1 से 11 तक	भोपाल	11.00	650.00	1.00
3.	चौडीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य रेहटी से बेराईखेड़ा एवं मकोड़िया से मरदानपुर रोड़ का निर्माण	सीहोर	4.00	140.00	1.00
4.	बनेटा से सुडानिया मार्ग (खर्ना नदी का निर्माण कार्य)	सीहोर	3.50	176.07	1.00
5.	आमोन से सागपुर मार्ग	सीहोर	3.40	120.42	1.00
6.	नानभेंट से बड़ोदिया मार्ग	सीहोर	3.70	125.80	1.00
7.	टीकरी से कुसुमखेड़ा मार्ग	सीहोर	3.50	122.50	1.00
8.	दोराहा से महुआखेड़ा तक बायपास रोड़ का निर्माण	सीहोर	3.00	150.00	1.00
9.	सेमरादागी से अतरालिया जेटली बराड़ी होते हुए रा.रा.क्र. 12 तक	सीहोर	11.00	400.00	1.00
10.	ग्राम बरखेड़ा खरेट रोड़ का निर्माण	सीहोर	5.00	175.00	1.00
11.	अरोलिया से कुरावर तक सड़क निर्माण	सीहोर	9.00	298.49	1.00
12.	सिकन्दरपुर से अहमदपुर मार्ग	सीहोर	5.00	145.00	1.00
13.	मसनगांव कमताड़ा सिराली मकड़ाई मार्ग	हरदा	30.35	2140.04	1.00
14.	बगुलिया से दियाधारी मार्ग	अशोकनगर	5.02	159.73	1.00
15.	अमरोद से हैदरमार्ग	अशोकनगर	6.46	210.83	1.00

16.	पिपरियाराय से बम्होरीताल मार्ग	अशोकनगर 4.59	183.61	1.00
17.	कलाबाग डुंगासरा मार्ग से अकाई घाट घुरवार व्हाया पौरुखेडी मार्ग	अशोकनगर 4.48	144.36	1.00
18.	पिलीघाट से झीला मार्ग	अशोकनगर 5.41	173.62	1.00
19.	रिजाड़ा से कुकरेटा मार्ग	अशोकनगर 5.04	173.00	1.00
20.	शौढोरा से कुनदोरा पहुंचत मार्ग	अशोकनगर 10.00	356.00	1.00
21.	वुसम्बा से कानपुरी मार्ग	बड़वानी 4.00	154.00	1.00
22.	राजपुर दवाना मार्ग	बड़वानी 3.00	146.70	1.00
23.	सोनारपार्क से खुटिया मार्ग	छिन्दवाड़ा 11.60	296.51	1.00
24.	सिवनी मालवा बायपास मार्ग	होशंगाबाद 8.00	1032.83	1.00
25.	डोभी बरकुंडा गुटोरी मार्ग	नरसिंहपुर 5.56	361.42	1.00
26.	सूखाकेडी से चीचली मार्ग	नरसिंहपुर 3.54	361.42	1.00
27.	पलोहा अमोदा उम्थन मार्ग	नरसिंहपुर 8.40	437.64	1.00
28.	करपगांव खमरिया आमगांव मार्ग	नरसिंहपुर 8.40	357.64	1.00
29.	गराम पलोहा से अमोदा होते हुए	नरसिंहपुर 8.50	414.00	1.00
30.	सूरेखा बायपास मार्ग लंबाई 1.60 कि.मी. का निर्माण	बालाघाट 1.60	155.00	1.00
31.	द्रोणगिरी मंदिर पहुंच मार्ग	छतरपुर 1.60	102.37	1.00
32.	दुलापुर से बमनोरा मार्ग	छतरपुर 18.40	1025.00	1.00
33.	बलदेवगढ़ पलेरा खरगापुर मार्ग कि.मी. 37/2 से 38/2 का निर्माण	टीकमगढ़ 1.60	230.60	1.00
34.	नोगांव जतरामार्ग	टीकमगढ़ 3.40	490.02	1.00
35.	पंचकोशी मार्ग बनाने के लिए श्रद्धालुओं के लिये कच्चा-पक्का अलग-अलग मार्ग निर्माण	उज्जैन 123.00	2850.00	1.00
36.	उज्जैन शहर के कमरी मार्ग का चौड़ीकरण	उज्जैन 3.50	1115.63	1.00
37.	पिपलीखेड़ा से बिलखण्ड मार्ग	नीमच 16.50	611.26	1.00
38.	दामोदरपुरा से आटा व्हाया खोर सरवनिया मार्ग	नीमच 12.95	502.51	1.00
39.	लिम्बोदापाल से सेमदा तक मार्ग निर्माण	इंदौर 6.45	226.18	1.00
40.	परासिया बायपास मार्ग	छिंदवाड़ा 2.9	250.71	1.00

उपरोक्त कार्य अपरीक्षित मद के रूप में शामिल किये जा रहे हैं। अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26
मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 1

ग्वालियर में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु इस वर्ष रुपये 100.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राजा मानसिंह के नाम से सम्मान दिये जाने हेतु इस वर्ष राशि रुपये 5.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राज्य नाट्य विद्यालय की स्थापना हेतु इस वर्ष राशि रुपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

बाल साहित्य शोध केन्द्र इंदौर की स्थापना हेतु इस वर्ष राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

डॉ. वी.एस. वाकणकर शोध संस्थान की स्थापना भोपाल में किये जाने हेतु इस वर्ष राशि रुपये 40.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

1857 मुक्ति संग्राम के 150 वें वर्ष समारोह अन्तर्गत विविध आयोजनों के लिये वर्ष 2008-09 में राशि रुपये 90.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला केन्द्र की स्थापना ग्वालियर में किये जाने हेतु इस वर्ष राशि रुपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

धर्मपाल शोध पीठ की स्थापना हेतु इस वर्ष राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 9

मध्यप्रदेश के क्षेत्रीय अंचलों यथा बघेलखण्ड, रीवा, बुन्देलखण्ड, सागर तथा निमाड़ी, सांस्कृतिक कला संकुल खण्डवा में स्थापित किये जाने हेतु इस वर्ष राशि रुपये 3,01,00,000 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,01,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

रानी अवंती बाई शहीद स्थल बालपुर पर मूर्ति स्थापना हेतु इस वर्ष राशि रुपये 15.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

दुर्घटना स्थल पर मृतकों की स्मृति में स्मारक निर्माण हेतु इस वर्ष राशि रुपये 1.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

गौरीकुंज सभागृह के शेष निर्माण हेतु इस वर्ष राशि रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 27
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार रुपये 20,00,000 की राशि का भुगतान माननीय न्यायालय गुना में जमा किया जाना है। इस राशि का प्रावधान भारत मद के अन्तर्गत किया जाना है। इसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट से राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान किये जाने हेतु लगभग 1,53,000 बालक और 1,70,000 बालिकाओं को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 200 रुपये प्रति बालक की दर से रुपये 306.00 लाख तथा 300 रुपये प्रति बालिका की दर से रुपये 510.00 लाख कुल रुपये 816.00 लाख की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था विभाग के स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सामान्य, पिछड़े वर्ग तथा निर्धन परिवार की बालिकाओं को सायकिल प्रदाय किये जाने हेतु 1,35,000 बालिकाओं को रुपये 2,200 प्रति सायकिल की दर से निशुल्क सायकिल प्रदाय की जाना है। इस हेतु लगभग राशि रुपये 29.70 करोड़ की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से कराई जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 4

सर्व शिक्षा अभियान योजना अन्तर्गत वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक स्वीकृत प्राथमरी शाला, मिडिल शाला में शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था एवं किचन शेड के निर्माण कार्य स्थल विवाद, कोर्ट केस, दूरस्थ स्थल एवं सामग्री लागत में वृद्धि के कारण अपूर्ण है। इस वर्ष रुपये 1125.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

38 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, 08 शासकीय महाविद्यालयों एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं के भवनों के छातावासों के जीर्णोद्धार/उन्नयन हेतु रुपये 3,37,09,000 की आवश्यकता है। जिसकी प्रतिपूर्ति इस वर्ष स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

माननीय उच्च न्यायालय के अन्तर्गत स्वीकृत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के 121 पदों में से 90 पद अमले सहित समर्पित कर इनके स्थान पर 48 पद अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश के अमले सहित स्थापना एवं ए.डी.जे. के 6 न्यायालयों की स्थापना पर रुपये 16,27,24,300 का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जिला न्यायाधीशों के लिये 7 वाहन क्रय किया जाना है। जिसपर रुपये 35.00 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट से की

जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 3

राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत आगामी विधान सभा आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये यात्रा भत्ता दौरे आदि पर रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 32

मुख्य शीर्ष 2220

मद क्रमांक 1

जनसंपर्क नीति के क्रियान्वयन हेतु (पत्रकारों के लिये कल्याणकारी योजनाओं) रुपये 1.50 करोड़ का व्यय होना अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जनहित योजनाओं के प्रचार-प्रसार के अन्तर्गत प्रत्येक जिले को अतिरिक्त रुपये 10.00 लाख के मान से 48 जिलों हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 4.80 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 33

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

शिक्षक/अध्यापक संवर्ग के ग्रामीण/शहरी निकायों क्षेत्र की शालाओं में पदस्थ शिक्षा कर्मी वर्ग-2 एवं वर्ग-3 के वेतन भुगतान की एकजाई व्यवस्था कोषालय से आहरित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 89,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1 - 20

मध्यप्रदेश निर्धन कल्याण आयोग के माननीय अध्यक्ष के मानदेय, कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य कार्यालयीन व्यवस्था हेतु रुपये 40.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21

निशक्तजनों को उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस/निर्वाह भत्ता में अतिरिक्त राशि स्वीकृत किये जाने से रुपये 2.95 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,95,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22 - 31

निशक्त व्यक्तियों के सामान्य पुनर्वास एवं सशक्तिकरण के अन्तर्गत मानसिक रूप से अविकसित बालक/बालिकाओं के लिये स्कूलों/गृहों की स्थापना सागर, ग्वालियर, रीवा, भोपाल एवं उज्जैन में किये जाने हेतु रुपये 2.40 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1

चालू वित्तीय वर्ष में खाद्यान्न उपार्जन हेतु प्रोत्साहन के पुनरीक्षित लक्ष्य अनुसार गेहूँ उपार्जन पर किसानों को 100 रु. प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन राशि भुगतान करने हेतु राशि रु. 30,00,00,000 की और आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

इस वर्ष अत्योदय अन्न योजना हेतु रुपये 25,00,00,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

खाद्य भण्डारण और भाण्डागार एवं प्रदेश के बी.पी.एल. कार्डधारियों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराये जाने हेतु रुपये 70.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

इस वर्ष पी.डी.एस. सतर्कता समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु रुपये 26,30,300 की व्यय हेतु आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,30,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

उपभोक्ता जागरूकता कल्याण योजना के लिये अनुदान राशि रुपये 31.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 1

आदिवासी क्षेत्रों में खेल के विकास एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से युवा संधि को अनुदान योजना में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 50.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मुख्यालय स्तर, जिला स्तर, एवं 5000 से अधिक आबादी वाले गावों में प्रशिक्षण शिविर के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजनांतर्गत रुपये 27.12 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,12,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 3

प्रदेश के आदिवासी अंचलो में 1857 मुक्ति संग्राम के 150 वर्ष समारोह अंतर्गत विविध आयोजन कर प्रचार किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 4

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अतंगत सायर, जिला विदिशा, ग्राम चिखली एवं ग्राम जानपुर विकासखण्ड बिरसा, जिला बालाघाट, ग्राम झापड़ी एवं ग्राम तारा विकासखण्ड शाहपुर, जिला बैतुल में 5 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झींग बिजुरी जिला शहडोल का 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन तथा 7 उप स्वास्थ्य केन्द्र यथा उबवड़ जिला झाबुआ, उमरठ, जिला झाबुआ, फूलमाल, जिला झाबुआ, सेमाबाड़ा, जिला झाबुआ, गुराड़िया जिला खरगौन, हेलाबड़ावा, जिला खरगौन एवं सतीपुरा, जिला धार का 6 बिस्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 366.96 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 5

वमनाला (कन्या), बिलोनारा (कन्या), उर्दू क्र. 6, कदवाली, खेडीखुर्द, लालखेड़ा, पिपरखेड़ा, मोगांवा, निमगुल, सेजला, जामली, पिपल्या (कन्या) जिला खरगौन, लोटिया, लहगडुआ, खिरेटी, कुसीढाना (कन्या) जिला छिंदवाड़ा, मोहनपड़ावा, दुगानी जिला बडवानी, वोरी (कन्या), खडरुबडी (कन्या), डाबडी, अंतरवेलिया जिला झाबुआ, मोहगांव (कन्या), केहरपुर, सिलपुरा, कटगासिवनी जिला मंडला, बाकुड़, बीरपानी, काबला, रायपुर, कौडिया, भौरा, केकडियाकला, गुरुवापिपरिया, कुडवकाजन जिला बैतुल, उमनिया, पटैती, धिरौला जिला अनुपपुर, भदवाही, गोहरापु, चन्दोल जिला शहडोल में स्थापित 45 माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार अमला सृजित किया जाना तथा फर्नीचर आदि पर आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय के रूप में मांग संख्या 41 में रुपये 288.00 लाख एवं मांग संख्या 52 में रुपये 45.00 लाख कुल रुपये 333.00 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100-100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

धावा जिला बैतुल, चिरापटला जिला बैतुल, पटनाकला जिला अनुपपुर, खामीडोल जिला शहडोल, बरगंमा जिला शहडोल, सेजवाड़ा जिला झाबुआ एवं चाटली जिला बडवानी में स्थापित हाई स्कूल को उच्चतर माध्यमिक शाला में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार अमला सृजित किया जाना तथा फर्नीचर आदि पर आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय के रूप में मांग संख्या 41 में रुपये 76.93 लाख एवं मांग संख्या 52 में रुपये 8.75 लाख कुल रुपये 85.68 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100-100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

भेजरी, जिला अनुपपुर, सकरा, जिला अनुपपुर, सिराली जिला हरदा, चाटली, जिला बडवानी, भुआ बिछिया, जिला मंडला, बसकुटा, जिला उमरिया तथा बरही जिला कटनी में नवीन प्रीमैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास एवं भुआ बिछिया, जिला मंडला, पुनासा, जिला खण्डवा तथा भरेवा, जिला उमरिया में नवीन प्रीमैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना की जाना है, इस हेतु आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय के रूप में मांग संख्या 41 में रुपये 32.90 लाख एवं मांग संख्या 52 में रुपये 25.50 लाख कुल रुपये 58.40 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100-100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

ग्राम डही जिला धार में एक खेल परिसर की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय के रूप में कुल रुपये 32.16 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

बलवारी जिला बडवानी में 50 सीटर कन्या छात्रावास एवं इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर मुख्यालय पर 100 सीटर बालक छात्रावास की स्थापना की जाना है, इस हेतु आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय के रूप में कुल रुपये 29.51 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वर्ष 2008-09 के लिये निर्धारित राशि एवं प्रोत्साहन राशि में से एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 3058.76 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,58,76,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वर्ष 2008-09 के लिये निर्धारित राशि एवं प्रोत्साहन राशि में से माड़ा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 81.45 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 81,45,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वर्ष 2008-09 के लिये निर्धारित राशि एवं प्रोत्साहन राशि में से आदिवासी अंचलो में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 8.11 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,11,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वर्ष 2008-09 के लिये निर्धारित राशि एवं प्रोत्साहन राशि में से विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 199.90 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,99,90,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

जनश्री जीवन बीमा योजना, विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन बीमा हेतु केन्द्र क्षेत्र योजना अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता से संचालित की जाती है। इस योजना अंतर्गत पूर्व वर्षों में अव्ययित राशि हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 7.27 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,27,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 15

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित आंगनवाडी केन्द्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 660.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,60,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में लाड़ली लक्ष्मी योजना के संचालन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 2200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 17

कृषकों को सिंचाई उपकरणों के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान अंतर्गत स्पिंकरलर व रेनगन पर 30 प्रतिशत टाप अप अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 146.45 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

गैर परम्परागत उर्जा स्रोतों के उपयोग की दिशा में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना पर एक घ.मी. से पांच घ.मी. तक क्षमता वाले बायोगैस संयंत्रों पर केन्द्रीय अनुदान के अतिरिक्त, राज्य शासन द्वारा प्रत्येक हितग्राही को रुपये 2500/ प्रति संयंत्र अतिरिक्त राज्य अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 88.425 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

आदिवासी क्षेत्र उपयोगनांतर्गत हाट बाजार की योजना हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 800.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 20

भारत सरकार द्वारा संचालित पशुधन बीमा योजना में वार्षिक बीमा प्रीमियम का 50 प्रतिशत अनुदान भारत शासन द्वारा एवं 50 प्रतिशत हितग्राही द्वारा वहन किया जाता है। वार्षिक बीमा प्रीमियम में हितग्राही के अंश का 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगनांतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 23.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 21

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी उपयोगना क्षेत्रों के वन ग्रामों के विकास के लिये विमुक्त की गई राशि तथा पूर्व वर्षों में अव्ययित राशि हेतु इस वित्तीय वर्ष में रुपये 6581.24 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,81,24,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

भारत सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों उपयोगना अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ द्वारा लघु वनोपज के विभिन्न कार्य के लिये रुपये 463.00 लाख की राशि विमुक्त की गई है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 463.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,63,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 23

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में तहसील में आधुनिक अभिलेखागार के निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 158.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,58,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

सर्व शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत पूर्व वर्षों में स्वीकृत प्राथमरी शाला, मिडिल शाला, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था एवं किचन शेड के निर्माण कार्य स्थल विवाद, कोर्ट केस, दूरस्थ स्थल एवं सामग्री लागत में वृद्धि के फलस्वरूप अपूर्ण है। आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 225.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,25,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25

जिला अनुपपुर, खरगौन, धार, होशंगाबाद एवं बैतुल में 10 उ. म. शाला/हाई स्कूल भवनो के भवन निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत कुल रुपये 276.00 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 26

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों हेतु भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत पूर्व वर्षों में 144 उ. मा. शाला/हाईस्कूल शाला भवनों के निर्माण कार्य प्रति भवन लागत रु. 22.40 लाख के मान से स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिनमें से कुछ कार्य अपूर्ण है। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 260.90 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,60,90,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27

आदिवासी क्षेत्रों में खेल के विकास एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण योजना में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 50.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	जिला	लागत (लाख में)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वेंकटनगर	अनुपपुर	200.11
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फूनगा	अनुपपुर	183.58
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरुड़	खरगौन	200.11
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करपा	अनुपपुर	187.02
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पलसूद	बड़वानी	167.94
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरला	बड़वानी	196.42
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिलावद	बड़वानी	172.30
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेहरा	बैतुल	184.37
9.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमझेरा	धार	146.76
10.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धामनोद	धार	144.72
11.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विक्रमपुर	डिण्डोरी	176.04
12.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर	झाबुआ	178.90
13.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्हनी	मंडला	170.05

14.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनसुखली	शहडोल	200.11
15.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झींगबिजुरी	शहडोल	178.90
16.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कबड़िया	खरगौन	65.00
17.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गेलडूब्बा	छिंदवाड़ा	65.00
18.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोरगांव	बैतूल	65.00
19.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सकरा	अनुपपुर	65.00
20.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंकुरी	शहडोल	65.00
21.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चोलना	अनुपपुर	65.00
22.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्हनी	डिंडोरी	65.00
23.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपरिया	मंडला	65.00
24.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रुसा	डिंडोरी	65.00
25.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाबदड़	बड़वानी	65.00
26.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उबलड	झाबुआ	65.00
27.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उमरठ	झाबुआ	65.00
28.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फूलमाल	झाबुआ	65.00
29.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमावाड़ा	झाबुआ	65.00
30.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुराडिया	खरगौन	65.00
31.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेलाबड़ावा	खरगौन	65.00
32.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सतीपुरा	धार	65.00
33.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सायर	विदिशा	65.00

उपरोक्त पर वित्तीय वर्ष में रुपये 395.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 29

जल गुणवत्ता से प्रभावित 2 जिलों खरगौन एवं रतलाम की 319 ग्रामों/बसाहटों की जलप्रदाय योजनाएं लागत रुपये 8147.60 लाख हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोगिता अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 3.00 करोड़ का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 30

जिला बड़वानी एवं जिला धार में आश्रम शाला भवन के निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगिता अंतर्गत कुल रुपये 80.00 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31

जिला धार में छात्रावास भवन निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगिता अंतर्गत कुल रुपये 180.00 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वर्ष 2008-09 के लिये निर्धारित

राशि एवं प्रोत्साहन राशि में से एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में अधोसंरचना संबंधित विकास कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 962.22 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,62,22,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 33

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 940.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,40,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4250

मद क्रमांक 34

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नरसिंहपुर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मझोली एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कटनी के भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत कुल रुपये 480.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 35

ओंकारेश्वर परियोजना के यूनिट-1 तथा यूनिट-11 के कार्य के कंसलटेन्सी हेतु तथा मशीनरी एडवांस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 4367.66 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 43,67,66,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 36

अपर वेदा परियोजना अंतर्गत सनावद खरगोन मार्ग के पहुँच मार्ग एवं पुलिया निर्माण, शिवना से आभपुरी परिवर्तन मार्ग, पुनर्वास स्थल, पिपलिया बुजूर्ग तहसील भीकनगांव में आंतरिक मार्ग, तथा भवन निर्माण, पुनर्वास स्थल चिचलिया में नलकूप खनन कार्य, पाईप लाईन व सिस्टर्न निर्माण कार्य हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 105.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,05,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 37

जोबट परियोजना अंतर्गत नानपुर के पुनर्वास कार्य हेतु विस्थापितों को भू खण्ड/पुनर्वास अनुदान के रूप में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 55.35 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 38

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र. कार्य का नाम जिला अनुमानित लागत (रु. लाख में)

1. जाटलपुरा तालाब	छिंदवाड़ा	234.27
2. पतखई तालाब	शहडोल	573.34
3. सारंगपुर तालाब	शहडोल	243.03
4. धमनी स्टोरेज कम बैराज	शहडोल	240.82
5. धामनकुण्ड खोदरा तालाब	धार	454.07
6. हनुमानखेड़ा तालाब	धार	177.75
7. माकोडा तालाब	धार	174.12
8. लालगढ़ तालाब (नहर रहित)	इंदौर	130.43
9. चंदनघाटी उ.सिं.यो.	शहडोल	292.00
10. डाडीवाड़ा उ.सिं.यो.	होशंगाबाद	260.13
11. बनदेही तालाब	उमरिया	1466.23
12. छिंदवाड़ा तालाब	बैतूल	371.09
13. जामझिरी तालाब	बैतूल	135.49
14. डोडापोखरी तालाब	बैतूल	398.26
15. सालीवाड़ा तालाब	बैतूल	400.28
16. घोघरी तालाब	बैतूल	453.21
17. ईटावा तालाब	बैतूल	283.17
18. कोंडी तालाब	बैतूल	455.01
19. पाठई तालाब	छिंदवाड़ा	326.76
20. बांदरा तालाब	सिवनी	819.15
21. कपरिया तालाब	अनुपूपुर	146.62
227. जमड़ी व्यपवर्तन	उमरिया	193.95
23. बसाड व्यपवर्तन	उमरिया	649.23
24. नोडिया उद्वहन सिंचाई योजना	सीधी	197.42
25. सालीवाड़ा देवद्वार	जबलपुर	190.45
26. खापाचकदेही तालाब	मंडला	149.83
27. कुबरीकला तालाब	मंडला	100.02
28. ककनू तालाब	मंडला	325.95
29. सुरेहली तालाब	मंडला	139.69
30. चाबी तालाब	मंडला	121.48
31. सिलघिटी तालाब	मंडला	181.35
32. मगरधा तलाब	मंडला	164.13
33. मांगा तालाब	मंडला	299.73
34. बेडियानाला तालाब	बड़वानी	538.90

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर पुल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

(राशि लाख में)

क्र. जिला कार्य का नाम लागत

1. सीधी करदा से पडरी मार्ग पर गोपद नदी पर पुल 558.00

2.	शहडोल	जैतपुर झींक बिजुरी मार्ग के कि.मी. 10/8 में कुनुक नदी पर पुल	139.52
3.	शहडोल	जैतपुर झींक बिजुरी मार्ग के कि.मी. 12/6 में कुनुक नदी पर पुल	140.00
4.	शहडोल	जैतपुर झींक बिजुरी मार्ग के कि.मी. 14/6 में कुनुक नदी पर पुल	155.25
5.	मण्डला	नैझर से इलाही घुघरी मार्ग में इलाही ग्राम के पास बुधनी नदी पर पुल	371.25
6.	अनुपपुर	गलीडाठ खम्हरोद मार्ग में केवई नदी पर पुल	418.00
7.	शहडोल	भटिया मोगडा मार्ग के कुनुक नदी पर पुल	175.00
8.	रायसेन	एन.एच. 12 वरेली बम्होरी बलीराम मार्ग के कि.मी. 14 पर इक्यावन नदी पर पुल	233.00
9.	डिण्डोरी	पड़रिया हरदी करेली मवई वन मार्ग पर नरेन नदी पर (ककरघाट) नदी पर पुल	160.00

उपरोक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष में रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।
अपरीक्षित मद

1.	हरदा	सिराली से घोघड़ा मार्ग पर स्थित नाले पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण	120.00
----	------	--	--------

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	(राशि लाख में)	
			लंबाई	लागत
1.	धार	बाकानेर से गणपुर मार्ग	26.22	856.12
2.	धार	सरदारपुर टाड़बाग कुक्षी मार्ग	25.00	796.10
3.	धार	राजगढ़ कुक्षी मार्ग (सरदारपुर टांडा)	22.40	690.22
4.	धार	मनावर बायल से जोतपुर मार्ग	8.50	271.52
5.	बड़वानी	मल्फा मलगांव फाटा भातकी मार्ग	5.50	171.57
6.	बड़वानी	तलुन तलवाड़ा नकटीमाता मार्ग	11.25	640.71
7.	रतलाम	महू नीमच मार्ग से फ्लाय ओव्हर ब्रिज तक उन्नतीकरण एवं मजबूतीकरण	2.00	175.06
8.	अशोकनगर	मथनेर से सेमराहाट मार्ग	9.14	315.33

अपरीक्षित मद

1.	अशोकनगर	सोनेरा (हरिपुरचक) से बेरखेड़ी मार्ग	4.58	149.19
----	---------	-------------------------------------	------	--------

उपरोक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष में रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अपरीक्षित मद

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अपरीक्षित मद के रूप में मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	(राशि लाख में)	
			लंबाई	लागत

उपरोक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष में रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 43
मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 1

डी.एस.वाय.डब्ल्यू. अकादमी के विस्तार क्रमशः 6 संभागों जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सागर एवं उज्जैन तथा ग्रामीण युवा केन्द्रों के सशक्तीकरण हेतु रुपये 176.00 लाख का प्रावधान अतिरिक्त राशि के रूप में शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,76,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 2

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत टी.टी. नगर स्टेडियम भोपाल में एशियन स्टारमीट आयोजन हेतु रुपये 100.00 लाख एवं सिवनी जिले में एस्टोटर्फ हाकी मैदान के लिये 50 लाख तथा ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में हाँकी स्टेडियम में फ्लड लाईट की व्यवस्था आदि हेतु राशि रुपये 274.00 लाख कुल राशि रुपये 424.00 लाख का प्रावधान अतिरिक्त राशि के रूप में शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,24,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 44
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

प्रिमियम नेशनल इस्टीमेट के समकक्ष उत्कृष्ट महाविद्यालयों की स्थापना हेतु इस वर्ष के बजट में अतिरिक्त राशि रुपये 9.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना के तहत शासकीय महाविद्यालयों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के छात्र-छात्राओं को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाना है। इसके अन्तर्गत ऐसे परिवारों को शामिल किया जायेगा जिनकी वार्षिक आय रुपये 42,000 से अधिक न हो। इसके लिये अतिरिक्त राशि रुपये 60.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 3

होशंगाबाद में कन्या छात्रावास भवन के निर्माण हेतु रुपये 1,50,76,000 की राशि की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने एवं पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार है:-

1. कसरावद में महाविद्यालय प्रारंभ करना
2. नलखेड़ा में महाविद्यालय प्रारंभ करना

3. शमशाबाद में महाविद्यालय प्रारंभ करना
4. बैतूल में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करना
5. आष्टा में नवीन संकाय प्रारंभ करना
6. नसरुल्लागंज में विज्ञान संकाय प्रारंभ करना
7. अमरवाड़ा में विज्ञान संकाय प्रारंभ करना
8. कन्या महाविद्यालय रायसेन में विज्ञान संकाय प्रारंभ करना

इस हेतु राशि रुपये 7,00,00,000 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45
मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 1

प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हेतु निम्नांकित नवीन लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाओं के वृहद निर्माण कार्य कराये जाने हैं। आवश्यक राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी। योजनायें निम्नांकित हैं:-

क्रमांक	योजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत (राशि लाख में)	अनुदान की राशि (राशि रुपये में)
1.	मोंगा सिंचाई नगर प्रणाली	रायसेन	478.21	100
2.	सेमरा खास तालाब	रायसेन	991.74	100
3.	साजखेड़ा तालाब	रायसेन	1129.85	100
4.	देहगांवा तालाब (उदयपुरा)	रायसेन	276.51	100
5.	देहगांव तालाब (भोजपुर)	रायसेन	496.81	100
6.	बेगम नदी पर श्रृंखलाबद्ध पांच बैराज	रायसेन	476.31	100
7.	पतवादी तालाब	रायसेन	650.38	100
8.	बारना नदी पर श्रृंखलाबद्ध तीन बैराज	रायसेन	306.97	100
9.	शाहपुर भर्तीपुर तालाब	रायसेन	204.36	100
10.	सालाबरु तालाब	रायसेन	999.64	100
11.	गुन्दरई तालाब	रायसेन	120.64	100
12.	नकटी नदी पर श्रृंखलाबद्ध पांच बैराज	रायसेन	468.77	100
13.	अपर बोरदी तालाब	सीहोर	118.45	100
14.	सेमलघाटा तालाब	सीहोर	464.32	100
15.	चौड़ी तालाब	सीहोर	372.22	100
16.	भोज तालाब	सीहोर	120.12	100
17.	छीपानेर उ.सिं.यो.	सीहोर	570.25	100
18.	बंजारी वियर	शाजापुर	161.33	100
19.	मकोड़ी उमरसिंगी तालाब	शाजापुर	407.06	100
20.	परदाखेड़ी वियर	शाजापुर	110.59	100
21.	विजना तालाब	शाजापुर	201.34	100
22.	तिलावद तालाब	शाजापुर	191.63	100
23.	भादवा तालाब	शाजापुर	473.60	100
24.	रनायतरा केलवा तालाब	शाजापुर	228.79	100
25.	कछालिया तालाब	शाजापुर	197.00	100
26.	खानवा नदी पर श्रृंखलाबद्ध 5 बैराज	विदिशा	322.99	100
27.	कीलनखेड़ी तालाब	विदिशा	221.20	100

28.	सोजना तालाब	विदिशा	183.76	100
29.	नरेन नदी पर श्रृंखलाबद्ध 5 बैराज	विदिशा	212.42	100
30.	बेरखेड़ी तालाब	दमोह	417.86	100
31.	सारंगपुरा तालाब	दमोह	517.78	100
32.	शेखपुरा तालाब	दमोह	432.56	100
33.	सतनुर तालाब	छिंदवाड़ा	524.71	100
34.	गाडरवारा तालाब	छिंदवाड़ा	298.18	100
35.	सीताझीर तालाब	छिंदवाड़ा	961.66	100
36.	खमरियामाला तालाब	छिंदवाड़ा	238.86	100
37.	भोजकुंड तालाब	छिंदवाड़ा	464.32	100
38.	रहमानपुरा तालाब	बुरहानपुर	529.11	100
39.	कोटरा बैराज	भोपाल	135.82	100
40.	पिपरिया बेरखेड़ी बैराज	भोपाल	135.82	100
41.	सिंघनपुर बैराज	राजगढ़	104.99	100
42.	पानखेड़ी तालाब	राजगढ़	390.03	100
43.	चांदतलाई तालाब	राजगढ़	101.15	100
44.	बोरदाखुर्द तालाब	राजगढ़	242.22	100
45.	टाकोली तालाब	ग्वालियर	237.94	100
46.	डबका तालाब	ग्वालियर	595.18	100
47.	गडरोली गुंजना तालाब	ग्वालियर	127.80	100
48.	चंदोला तालाब	ग्वालियर	712.58	100
49.	साख नदी पर श्रृंखलाबद्ध 3 स्टापडेम	ग्वालियर	577.57	100
50.	तेलंगघाट वियर योजना	सागर	138.52	100
51.	डोब तालाब योजना	बैतूल	226.15	100
52.	गरव्हा तालाब	बैतूल	322.25	100
53.	खतेनाकला तालाब	बैतूल	116.16	100
54.	कोंडा नाला तालाब	बैतूल	128.02	100
55.	सलाईढाना तालाब	बैतूल	182.29	100
56.	बटकी तालाब	बैतूल	127.70	100
57.	बावरखोह तालाब	बैतूल	254.30	100
58.	जैतपुर तालाब	सिवनी	608.81	100
59.	अम्बई तालाब	रायसेन	204.47	100
60.	कटरा तालाब	रीवा	338.58	100
61.	शेषघाट स्टापडेम कम काजवे	टीकमगढ़	139.00	100
62.	गुनाई बैराज	उज्जैन	115.50	100
63.	बीलपान तालाब	सीहोर	417.08	100
64.	गोडीवा ढाना तालाब	छिंदवाड़ा	701.54	100
65.	तमरापहाड़ तालाब	रीवा	382.21	100
66.	पालाबे तालाब	राजगढ़	310.88	100
67.	मोठी मेहर वियर	सागर	134.71	100
68.	पठारीघाट बैराज	विदिशा	102.30	100
69.	कैथोरा बैराज	विदिशा	174.31	100
70.	ठिकोला वियर	मंदसौर	146.52	100
71.	दौलतपुर बैराज	रायसेन	105.55	100
72.	ककरहा तालाब	रीवा	312.67	100

73.	पांगरीपाट तालाब	बालाघाट	424.00	100
74.	रतेह तालाब	रीवा	652.24	100
75.	घोघरा फीडर तालाब	सीहोर	816.16	100
76.	हाथीगड़ा तालाब	शिवपुरी	163.61	100
77.	साण्डेर तालाब	शिवपुरी	447.44	100
78.	कोटेश्वर तालाब	मन्दसौर	911.56	100
79.	बिलबिलहा तालाब	रीवा	300.83	100
80.	हैदरपुर तालाब	बुरहानपुर	557.56	100
81.	भोजकराडिया तालाब	इंदौर	432.56	100
82.	चपरघाट स्टापडेम	ग्वालियर	133.40	100
83.	रायघाट स्टापडेम	ग्वालियर	146.52	100
84.	धीरोली तालाब	ग्वालियर	151.55	100
85.	खाम तालाब	शाजापुर	239.95	100
86.	सिरमोई तालाब	शाजापुर	1089.24	100
87.	अमरादर तालाब	रीवा	1657.64	100
88.	मसूर बाबडी तालाब	रायसेन	1177.49	100
89.	अपर घोघरा (फड़की पानी तालाब)	सीहोर	1891.12	100
90.	सुनाज तालाब	शिवपुरी	1191.25	100
91.	सापन उ. सि. योजना	विदिशा	1664.00	100

अपरीक्षित मद

1.	खानखेड़ी उद्वहन सिंचाई योजना	नीमच	1500.00	100
2.	बरखेड़ा उद्वहन सिंचाई योजना	नीमच	1452.27	100
3.	देवरी सोमिया उद्वहन सिंचाई योजना	नीमच	1475.19	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 46
मुख्य शीर्ष 5425

मद क्रमांक 1

उज्जैन जिले में प्लेनेटोरियम वैधशाला एवं विज्ञान पार्क की स्थापना हेतु रुपये 300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

प्रदेश में नेशनल इस्टीमेट ऑफ फैशन टेक्नॉलाजी की स्थापना की जाना है, इस हेतु रुपये 8.00 करोड़ की आवश्यकता है। राशि की प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2-3

विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना के तहत शासकीय इंजिनियरिंग पोलीटेक्नीक /आई.टी.आई. में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के छात्र-छात्राओं को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाने हेतु ऐसे परिवारों को शामिल किया जाना है जिनकी वार्षिक आय रुपये 42,000 से अधिक न हो, के लिये अतिरिक्त राशि रुपये 5.00-5.00 लाख कुल रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 3

मद क्रमांक 4 - 9

निशक्तजन को रोजगार धंधे हेतु औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्था मुर्ना, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर, रीवा एवं शहडोल इन दस संस्थाओं में तीन व्यवसाय प्रति संस्था प्रारंभ करते हुये प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाना है। संस्थाओं में प्रशिक्षण अमले हेतु 7 प्रशिक्षण अधिकारी, एक छात्रावास अधीक्षक, 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 3 चौकीदार, एक स्वीपर के वेतन भत्तों हेतु राशि रुपये 180.00 लाख तथा मशीन औजार उपकरण हेतु राशि रुपये 450.00 लाख तथा सामग्री पूर्तियां हेतु रुपये 20.00 लाख कुल राशि रुपये 650.00 लाख की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था विभाग के स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 10

निशक्तजन को रोजगार धंधे हेतु औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्था मुर्ना, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर, रीवा एवं शहडोल इन दस संस्थाओं में तीन व्यवसाय प्रति संस्था प्रारंभ करते हुये प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाना है। इन संस्थाओं में भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु राशि रुपये 1450.00 लाख की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था विभाग के स्वीकृत बजट से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 48

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1-4

निम्नांकित योजनाओं के सर्वेक्षण, अनुसंधान, वृहद निर्माण आदि के लिये वित्तीय व्यवस्था हेतु निम्नांकित अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है:-

1. बरगी नहर प्रत्यावर्तन परियोजना फेस-1,2,3	3533.09 लाख
2. इंदिरा सागर परियोजना	1638.90 लाख
3. पुनासा उद्बहन योजना	2300.00 लाख
4. नर्मदा नदी के परिक्रमा पथ का निर्माण	200.00 लाख

योग 7671.99 लाख

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 76,71,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 5-6

सरदार सरोवर एवं औंकारेश्वर परियोजना के डिजाइट कार्यों हेतु क्रमशः रुपये 495.25 लाख एवं 90.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। जिसकी प्रतिपूर्ति क्रमशः गुजरात राज्य एवं एन.एच.डी.सी. से होगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,85,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 51

मुख्य शीर्ष 2250

मद क्रमांक 1

जयश्री यादे मां धर्मशाला उज्जैन एवं नेमावर नर्मदा तट पर धर्मशाला निर्माण हेतु इस वर्ष रुपये 25,00,000 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रदेश के शासकीय मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 2008-09 में रुपये 25,00,000 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

मांग संख्या -41 मद क्रमांक 5 देखे।

मद क्रमांक 2

मांग संख्या -41 मद क्रमांक 6 देखे।

मद क्रमांक 3

मांग संख्या -41 मद क्रमांक 7 देखे।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 4

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधानानुसार निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं सशक्तिकरण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 230.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,30,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 5

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में दुधारु पशुओं की उत्पादकता वृद्धि हेतु पुरस्कार दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 25.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 6

भारत सरकार द्वारा हाथकरघा बुनकरों के लिये संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना में वार्षिक बीमा प्रीमियम में बुनकर के अंश का 50 प्रतिशत अर्थात् रुपये 70/- राज्य शासन द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। योजना अंतर्गत बुनकर परिवार के 4 सदस्य (पति, पत्नी एवं दो बच्चों) का बीमा होना है तथा उन्हें चिकित्सा हेतु प्रतिवर्ष रु. 1500/- की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजनांतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 0.80 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति मांग संख्या 41 शीर्ष 2851 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

हाथकरघा विकास योजना अंतर्गत हाथकरघा के विकास हेतु बुनियादी प्रशिक्षण, उन्नत प्रशिक्षण, मशीनरी, उपकरण एवं अधोसंरचना कार्यशील पूँजी तथा विपणन हेतु सहायता उपलब्ध काराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजनांतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 5.33 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

कुटीर उद्योग विकास योजना अंतर्गत कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु बुनियादी प्रशिक्षण, उन्नत प्रशिक्षण, मशीनरी, उपकरण एवं अधोसंरचना कार्यशील पूँजी तथा विपणन हेतु सहायता उपलब्ध काराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजनांतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 26.87 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 54
मुख्य शीर्ष 2415

मद क्रमांक 1

अपरीक्षित मद

अपरीक्षित नवीन मद के रूप में ग्वालियर में नवीन कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाना है। जिस हेतु रुपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं /सहायिकाओं को मानदेय में वृद्धि की जाने के फलस्वरूप इस वर्ष रुपये 18,90,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत राज्य महिला आयोग हेतु एक नवीन वाहन क्रय किया जाना है। जिसपर रुपये 3.50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 5

घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र (उषा किरण योजना) हेतु राशि रुपये 94,00,000 का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत लाडली लक्ष्मी योजना के स्वरूप में परिवर्तन के फलस्वरूप रुपये 63.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 63,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 7

आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु इस वर्ष रुपये 5,70,00,000 के अतिरिक्त राशि व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56
मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

इस वर्ष ग्रामोद्योग विकास योजना अन्तर्गत रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है। जिसकी प्रतिपूर्ति बजट की बचत राशि द्वारा की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में हाथकरघा बुनकरों हेतु एकीकृत हाथकरघा विकास योजना हेतु केन्द्रांश की राशि रुपये 2,47,13,500 तथा राज्यांश की राशि रुपये 1,83,00,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,30,13,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 25

इस वर्ष मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड के प्रशासनिक व्ययों हेतु वेतन, भत्ते आदि की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 90.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 58

मुख्य शीर्ष 2245

मद क्रमांक 1

नैसर्गिक आपदाओं (बाढ़ राहत) में सहायता अनुदान राशि वितरण एवं अन्य व्यय हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

भारत सरकार द्वारा नेशनल प्रोग्राम फार केपेसिटी लिडिंग आफ आर्किटेन्ट इन अर्थ क्लेम रिस्क मैनेजमेन्ट कार्यक्रम के लिये रुपये 1,25,000 का अनुदान स्वीकृत किया गया है। उक्त राशि मौलाना आजाद नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नॉलॉजी भोपाल को उपलब्ध कराने के लिये उक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गई है:-

1. सूखा प्रबंधन	34.34 करोड़
2. पेयजल व्यवस्था	10.00 करोड़
3. एस.जी.आर.वाय. के विशेष घटक योजना अन्तर्गत अनाज के एवज में प्राप्त राशि	7.75 करोड़
4. वर्ष 2005 के दौरान आई बाढ़ से हुई क्षति के पुनर्निर्माण हेतु प्राप्त राशि	19.02 करोड़

योग 71.11 करोड़

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 71,11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

नैसर्गिक आपदाओं (कीट प्रकोप/पाला/शीतलहर) से हुई फसलों की क्षति के कारण प्रभावितों को सहायता अनुदान राशि वितरण एवं पुनर्संरचना के लिये सहायता तथा अन्य कार्य हेतु रुपये 18.89 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,89,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

आपदा राहत भवन निर्माण हेतु इस वर्ष राशि रुपये 20.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 63
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1 - 4

अल्प संख्यक कल्याण को वक्फ न्यायाधिकरण के लिये मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिनांक 1-11-1999 से सुविधा प्रदान किये जाने के लिये एरियर्स का भुगतान किया जाना है। अतः वेतन भत्ते, मजदूरी, पेट्रोल तेल, किराया महसूल और स्थानीय कर हेतु रुपये 1.97 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,97,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

केन्द्र क्षेत्रीय सहायता राशि से अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले में विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भोपाल जिले के विकास हेतु राशि रुपये 200.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

केन्द्र क्षेत्रीय सहायता अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से मेरिट-कम-मीन्स योजना में रुपये 105.00 लाख की छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,05,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2056

मद क्रमांक 1 - 2

जेलो का आधुनिकीकरण की योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 3

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित महाविद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाने हेतु इस वर्ष रुपये 600.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 4

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में खेल के विकास एवं अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से युवा संधि को अनुदान योजना में इस वर्ष रुपये 50.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 5

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 1857 स्वाधीनता संग्राम के 150 वर्ष समारोह अंतर्गत विविध आयोजन कर प्रचार किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगढ़ जिला छतरपुर का 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन, 4 उप स्वास्थ्य केन्द्र यथा रुपाखेड़ी, जिला उज्जैन, चिंतामन जवासियां जिला उज्जैन, पंथ पिपलई, जिला उज्जैन एवं गोदल जिला दतिया का 6 बिस्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन, ग्राम मांगरोल जिला मुरैना में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना तथा 12 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र यथा मुबनपुरा एवं अंचामा वि.ख. गोहद जिला भिण्ड, बरोड़ा वि.ख. सबलगढ़ जिला मुरैना, बंधाचंदोली, गोरखपुरा, सोरखी, बरेठा, एवं महाराजगंज वि.ख. बड़ामल्हार जिला छतरपुर चंदना वि.ख. तेंदुखेड़ा जिला दमोह, महुदा वि. ख. सीतामऊ जिला मंदसौर, धापर एवं चुपाडिया वि.ख. आष्टा जिला सीहोर की स्थापना की जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 292.23 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 7

प्रदेश में स्थित 224 सामुदायिक विकासखण्डों की एक-एक पंचायत को अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ कार्य हेतु पुरस्कार राशि रुपये 25000/- प्रति पंचायत के मान से पुरस्कृत किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 56.00लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 240.69 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत 14 अतिरिक्त विशेष न्यायलयों हेतु वाहनो का क्रय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 73.77 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 73,77,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 10

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित आंगनवाडी केन्द्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय दिया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 450.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11 - 12

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम 2006 के क्रियान्वयन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 62.00लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

लाइली लक्ष्मी योजना के संचालन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 1500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 14

कृषकों को सिंचाई उपकरणों के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान अंतर्गत स्प्रींकलर व रेनगन पर 30 प्रतिशत टाप अप अनुदान दिया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 155.60 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

गैर परम्परागत उर्जा स्रोतों के उपयोग की दिशा में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना पर एक घ.मी. से पांच घ.मी. तक क्षमता वाले बायोगैस संयंत्रों पर केन्द्रीय अनुदान के अतिरिक्त, राज्य शासन द्वारा प्रत्येक हितग्राही को रुपये 2500/ प्रति संयंत्र अतिरिक्त राज्य अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 75.28 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 16

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में तहसील में आधुनिक अभिलेखागार के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 110.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,10,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जेल सुधारों के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत के तहत मध्यप्रदेश की जेलों में आवश्यक सुधार कार्यों हेतु राशि दी की जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 90.00 लाख केन्द्रांश के रूप में एवं रुपये 30.00 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 120.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,20,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 18

सर्व शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत पूर्व वर्षों में स्वीकृत प्राथमरी शाला, मिडिल शाला, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था एवं किचन शेड के निर्माण कार्य, स्थल विवाद, कोर्ट केस, दूरस्थ स्थल एवं सामग्री लागत में वृद्धि के फलस्वरूप अपूर्ण है। अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु इस वर्ष रुपये 150.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में हायर सेकेण्डरी स्कूलों की प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण हेतु भारत सरकार से एक मुश्त विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी गई है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में खेल के विकास एवं अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण योजना में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 50.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 21

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण कराया जाना है।

क्र.	स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	जिला	लागत (लाख में)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयागंजदेवास		183.58
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुंदरसी	शाजापुर	200.11
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इंगोरिया	उज्जैन	200.11
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाडोरा	अशोकनगर	199.59
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ईशानगर	छतरपुर	176.30
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इंदरगढ़	दतिया	181.25
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसई	दतिया	152.95
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हिंडोरिया	दमोह	169.11
9.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खडियारा	मुरैना	164.86
10.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ताल	रतलाम	102.93
11.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जावर	सीहोर	172.15
12.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोलायकला	शाजापुर	178.88
13.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सतनवाड़ा	शिवपुरी	180.19
14.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नरवर	उज्जैन	173.83
15.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपलखेड़ा	विदिशा	197.48
16.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लडकुई	सीहोर	183.58
17.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाड़ी	सीहोर	180.13
18.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोठी	सतना	214.21
19.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ागांव	टीकमगढ़	252.51
20.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झारडा	उज्जैन	211.97
21.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मंडी बामौर	सागर	174.93
22.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धुवारा	छतरपुर	183.58
23.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगढ़	छतरपुर	180.13

उपरोक्त पर वित्तीय वर्ष में रुपये 560.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 22

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति कन्या छात्रावासों के भवन निर्माण हेतु बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना अंतर्गत शत-प्रतिशत केन्द्रांश के आधार पर स्वीकृति प्रदान की है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 695.28 लाख का व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,95,28,000/ के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 23

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 496.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,96,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4250

मद क्रमांक 24

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पन्ना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उज्जैन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उमरिया एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दमोह के भवन निर्माण कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत कुल रुपये 600.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 25

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 26

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्मांकित स्थानों पर मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	(राशि लाख में)	
			लंबाई	लागत
1.	सागर	मकरोनिया 10 वी बटलियन नरवानी बमोरी ढूढर साईखेड़ा मार्ग	16.00	373.43
2.	सागर	सदर गयागंज श्यामपुरा गढ़पहार मुहाल मार्ग	11.00	396.00
3.	सागर	खुरई नगना ढोगा कनेरा बरोदिया बल्लभ लुहरा मार्ग	16.00	675.84
4.	सागर	सीहोरा लोटना लोटनी रामठायरी हारापुर नरयावली मार्ग	17.00	712.60
5.	सागर	बेरखेड़ी मोहली तिनसुआ मार्ग	9.00	373.43
6.	सागर	सागर बायपास गढ़ाली बनगुवां पथरिया हाट पृथ्वीपुर मार्ग	7.00	261.40
7.	सागर	मिसिंग लिंक शाहपुर पथरिया मार्ग	2.00	110.87
8.	सागर	आगेट रजौआ बदौना मार्ग	8.00	314.50
9.	सागर	देवरी से रसेना मार्ग	12.80	485.16
10.	सागर	पडरिई बासन महुआखेड़ा करहद मार्ग	13.55	509.47
11.	सागर	बांसा से ठकरई मार्ग	9.00	333.71
12.	सागर	जैसीनगर बायपास मार्ग	2.00	159.77
13.	इंदौर	ए.बी. रोड पुराने रा. रा. 3 से रा. रा. 3 बायपास व्हाया मायाखेडी गांव को जोडने वाली	3.60	303.14
14.	उज्जैन	किलोली नागलपुर लखेसरा मार्ग	8.60	318.36
15.	उज्जैन	बिसलखेडी पहुच मार्ग	6.10	207.87
16.	रतलाम	आक्यादेह शुजापुर पंचेना	4.40	164.84
17.	इंदौर	रिजलाय पिपलिया तफा बोरिया रोलाय मार्ग	13.56	419.07

18. नरसिंहपुर गाडरवाडा वायपास 4.34 595.48
अपरीक्षित मद

1. टीकमगढ़ बल्देवगढ़ पलेरा खरगापुर मार्ग कि.मी. 11/2 से 13/4 का निर्माण 2.40 345.90

उपरोक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष में रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 66
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित कराने के लिये बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा एवं बैंक ब्याज की आंशिक प्रतिपूर्ति ब्याज अनुदान देकर किये जाने हेतु रुपये 6.60 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के लंबित चिकित्सा देयकों के भुगतान किये जाने हेतु रुपये 3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67
मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 1

जिला ग्वालियर में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण लागत राशि रुपये 19.72 करोड़ से कराया जाना है। वर्ष 2008-09 में रुपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी। इस व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 50 प्रतिशत राज्यांश का होगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

भारत सरकार पर्सपेक्टिव प्लान जेल सुधार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूरा किये जाने हेतु रुपये 26,72,30,000 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,72,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 3

अपरीक्षित मद

ग्वालियर में 1,000 बिस्तर वाले अस्पताल के भवन का निर्माण रुपये 5.00 करोड़ की लागत से किया जाना है। इसपर होने वाला व्यय विभागीय बजट की बचत से किया जावेगा। यह अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 72

मद क्रमांक 1

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार यूनियन कार्बाईड परिसर स्थित अवशिष्ट पदार्थों के विनिष्टिकरण एवं अध्ययन कार्य हेतु रुपये 2.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

शिक्षक/अध्यापक संवर्ग के नगरीय क्षेत्र की शालाओं में पदस्थ शिक्षा कर्मी वर्ग-2 एवं वर्ग-3 के वेतन भुगतान की एकजाई व्यवस्था कोषालय से आहरित कर की जावेगी। इस हेतु इस वर्ष राशि रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता होगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

मद क्रमांक 2

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार देवास जिले की शहरी क्षेत्रों का विकास हेतु वर्ष 2008-09 में राशि रुपये 1,56,25,000 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,56,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 77
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

बालिकाओं को निशुल्क सायकल प्रदाय योजना अन्तर्गत कक्षा 8 से 10 तक की छात्राओं में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त राशि रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था मांग संख्या 27-2202 आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र से समर्पण कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 14

अपरीक्षित मद

अपरीक्षित नवीन मद के रूप में 30 हाईस्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया जाना है। उक्त 30 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में निम्न पदों के निर्माण की आवश्यकता है। जिसपर रुपये 1.20 करोड़ का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	प्राचार्य	30	8000-13500
2.	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 (वरिष्ठ अध्यापक)	240	4500 प्रतिमाह
3.	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 (सहायक अध्यापक)	60	2500 प्रतिमाह
4.	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3	30	2500 प्रतिमाह
5.	सहायक ग्रेड-2	30	2500 प्रतिमाह
6.	शाला प्रबंधन		6000 प्रतिमाह

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को प्रीमेट्रिक छात्रवृत्ति प्रदाय करने हेतु प्रत्येक छात्र/छात्राओं को राशि रुपये 7,400 प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी प्रदाय की जाना

है। प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 9240 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस हेतु रुपये 6,83,76,000 की आवश्यकता होगी। जिसमें से 75 प्रतिशत राशि रुपये 5,12,82,000 केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत अर्थात् राशि रुपये 1,70,94,000 राज्यांश के रूप में प्रावधानित की जाना है। राज्यांश राशि की प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,12,82,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16 - 29

सक्सेस योजना अन्तर्गत 1185 मिडिल शालाओं का हाई स्कूलों में इस वर्ष उन्नयन एवं सुदृढीकरण किया जाना है। इस योजना हेतु वेतन भत्ते एवं स्थापना संबंधी अन्य मदों के लिये लगभग रुपये 24.00 करोड़ की आवश्यकता है।

1185 हाई स्कूलों की स्थापना के लिये निम्न पदों का सृजन किया जाना है:-

क्रमांक	पदों के नाम	वेतनमान
1.	1185 प्राचार्य	6500-10500
2.	7110 संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2/अध्यापक	3500 प्रतिमाह निश्चित
3.	1185 संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 /सहायक अध्यापक	2500 प्रतिमाह निश्चित
4.	1185 सहायक ग्रेड-3	2000 प्रतिमाह निश्चित

राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से उपलब्ध राशि से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 30

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी स्कूल योजना) अंतर्गत भारत सरकार की उपरोक्त राशि का उपयोग इस वर्ष किये जाने हेतु रुपये 4,00,00,000 का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31

निर्धन वर्ग के लिये सांदिपनी संस्कृत भाषा के प्रसार योजना के तहत प्रत्येक विकास खण्ड में संस्कृत का अध्यापन करने हेतु एक संविदा शिक्षक वर्ग 3 का पद स्वीकृत किया जाना है जिसके लिये रुपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

शासकीय स्कूलों में कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं में पढ़ रहे सामान्य वर्ग के छात्रों को रुपये 200 तथा छात्राओं को रुपये 300 प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जावेगी। जिनके परिवार की आय सीमा रुपये 54,000 प्रतिवर्ष से अधिक न हो। जिसपर रुपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 33

विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना के तहत व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के छात्र-छात्राओं को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी जिनकी कुल वार्षिक आय रुपये 42,000 से अधिक न हो, इस हेतु रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 34

शासकीय शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12वी तक अध्ययन करने वाले समस्त विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जावेगा। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके, जिसके लिये अतिरिक्त राशि रुपये 50.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 35

निर्धन वर्ग के लिये विरांगना लक्ष्मी बाई सायकिल योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने वाली जिनके ग्राम में मिडिल स्कूल नहीं है तथा इसी प्रकार हाई स्कूल हायर सेकेण्डरी स्कूल में एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाने वाली सभी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को निशुल्क सायकिल प्रदाय की जानी है, जिसपर होने वाला संभावित व्यय रुपये 1.00 करोड़ है, राशि की व्यवस्था अतिरिक्त राशि के रूप में की जानी होगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 36

प्रदेश में हायर सेकेण्डरी स्कूलों की प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं प्रदेश के अधिकांश शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष उपलब्ध नहीं है अथवा अपर्याप्त स्थान/फर्नीचर उपकरण है। इसलिये प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 37

सक्सेस योजना शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु 1185 नवीन हाईस्कूलों का उन्नयन/स्थापना करने एवं नवीन खोले जाने वाले स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु राशि रुपये 120.00 करोड़ की आवश्यकता होगी। जिसमें से 75 प्रतिशत राशि रुपये 90.00 करोड़ भारत शासन द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। भारत शासन से राशि प्राप्त होने के पश्चात राज्यांश की राशि रुपये 30.00 करोड़ राज्य शासन द्वारा विभाग की बचत से उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 90,00,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 78

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

इस वर्ष बैतूल, खण्डवा एवं रतलाम जिलों में न्यायालयीन प्रकरणों में डिक्रीधन के भुगतान हेतु भारित मद में रुपये 7,21,200 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,21,200 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 79

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

नवनिर्मित सागर चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता के लिये एक वाहन क्रय करने हेतु रुपये 3.36 लाख का व्यय अनुमानित है। इस राशि की व्यवस्था विभागीय बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागली, सिविल अस्पताल, कन्नौद, देवास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खजुराहों, छतरपुर हेतु रुपये 30.00 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना के तहत शासकीय मेडिकल डेण्टल में सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के छात्र-छात्राओं को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाने हेतु रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना के तहत शासकीय आयुष में सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के छात्र-छात्राओं को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाने हेतु रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 80
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

शिक्षक /अध्यापक संवर्ग के ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में पदस्थ शिक्षा कर्मी वर्ग-2 एवं वर्ग-3 के वेतन भुगतान की एकजाई व्यवस्था कोषालय से आहरित कर की जावेगी। इस हेतु इस वर्ष रुपये 1,26,00,00,000 की आवश्यकता होगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,26,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 2

निशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं सशक्तिकरण हेतु छात्र गृह योजना के तहत रुपये 85.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 85,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना) के लिये व्यय रुपये 6556.16 लाख की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,56,16,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 4

इस वर्ष हाथकरघा विकास योजना अन्तर्गत रुपये 25,32,000 के व्यय की आवश्यकता है, जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत द्वारा की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

इस वर्ष कुटीर उद्योग का विकास योजनान्तर्गत रुपये 170.80 लाख की आवश्यकता है, जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत द्वारा की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।